

16.10.2024

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा पेश
 शर्माना-पत्र में पारित आदेश की
 पालना में पत्रावली पेशी में ली गई।
 अधिवक्ता अपीलान्त अप. अधिवक्ता
 अपीलान्त ने निवेदन किया कि
 पक्षकारों के शुभ चिन्तकों द्वारा
 लोक अदालत की भावना से
 उचित होकर राजीनामा करा दिया
 है ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता
 उक्त प्रकरण में कार्यवाही करना
 नहीं चाहता है। अपील विद्रोह
 करने का निवेदन किया। लिहाजा
 अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा पेश
 शर्माना-पत्र को एवं उनके निवेदन
 को न्यायवृत्ति में लोक अदालत की
 भावना से स्वीकार किया जाकर
 अपील जरिये राजीनामा विद्रोह
 शर्ज की जाती है। पत्रावली कैशाल
 शुमार नंबर से करा होकर
 बाद तारीख तकमील दायिल
 दफतर हो। आदेश करे इजलाश
 सुनाया गया।

43-12-
 12
 अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाइमेर